

## MAINS MATRIX

## TABLE OF CONTENT

1. उच्च न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन
2. शरणार्थी और घुसपैठिए
3. वैश्विक आर्थिक रूपांतरण का मार्गदर्शन
4. भारत की स्वच्छ ऊर्जा आकांक्षाओं में 'महत्वपूर्ण तत्व'
5. नगरपालिकाओं की राजकोषीय संरचना त्रुटिपूर्ण क्यों है?
6. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे (IMEC) का भविष्य

**उच्च न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन**  
(Gender Imbalance in the Higher Judiciary)

## 1. आँकड़े (Statistics):

- उच्च न्यायालय: केवल 14% न्यायाधीश महिलाएँ हैं।
- सुप्रीम कोर्ट: केवल 3.1% महिलाएँ (34 में से केवल 1 महिला न्यायाधीश)।
- नेतृत्व: देश के 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 1 का नेतृत्व महिला मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा है।

**मूल कारण:** वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रमुख कारण माना गया है। यह एक "नैतिक क्लब" की तरह कार्य करती है, जहाँ नेटवर्किंग आधारित चयन प्रक्रिया महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए प्रतिकूल साबित होती है।

**निचली न्यायपालिका से तुलना:**

निचली अदालतों में स्थिति बेहतर है — यहाँ

लगभग 38% न्यायाधीश महिलाएँ हैं क्योंकि चयन प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली से होता है।

## 2. प्रस्तावित समाधान: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)

**मुख्य विचार:**

न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक खुली, राष्ट्रीय स्तर की, योग्यता-आधारित, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी परीक्षा लागू की जाए — जैसे IAS और IPS की भर्ती होती है।

**प्रमुख समर्थक:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका समर्थन किया है।

**संवैधानिक आधार:**

**अनुच्छेद 312** संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) स्थापित करने का अधिकार देता है, जिसमें न्यायिक सेवा (AIJS) भी शामिल की जा सकती है।

## 3. AIJS के पक्ष में तर्क (Arguments For AIJS)

- **विविधता और समावेशन को बढ़ावा:**  
यह महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करेगा।
- **योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित:**  
एकसमान परीक्षा प्रणाली **भेदभाव और पक्षपात** की गुंजाइश को कम करेगी।
- **सफल उदाहरण:**  
UPSC मॉडल को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - **2024 सिविल सेवा परीक्षा परिणाम:**
    - OBC: 318, SC: 160, ST: 87, EWS: 109 उम्मीदवार चयनित।
    - शीर्ष दो रैंक महिलाओं ने प्राप्त कीं; शीर्ष 25 में 11 महिलाएँ।
  - **IPS में 2024 में:** 28% भर्ती महिलाएँ थीं (54 महिलाएँ)।
- **व्यावहारिक समस्याओं का समाधान:**  
यह ढांचा न्यायिक ढाँचों में **महिला अनुकूल नीतियाँ** (जैसे अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए शौचालय आदि) सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

#### 4. विरोध और उसका प्रत्युत्तर (Countering Opposition & Proposed Model)

#### विरोध के तर्क:

न्यायपालिका और बार इसे **कार्यपालिका के हस्तक्षेप और न्यायिक स्वायत्तता के कमजोर होने** के रूप में देखती हैं।

#### प्रत्युत्तर:

- निचली न्यायपालिका की भर्ती पहले से प्रतियोगी परीक्षा से होती है, फिर भी कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं देखा गया।
- उचित ढाँचा बनाकर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है।

#### प्रस्तावित शासन मॉडल (Proposed Governance Model):

- **परीक्षा संचालन निकाय:** UPSC।
- **योग्यता व मानदंड निर्धारण:** सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के परामर्श से।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** चयनित न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे।
- **प्रशिक्षण:** न्यायालयों द्वारा निर्धारित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

#### 5. निष्कर्ष एवं आगे की राह (Conclusion & Call to Action)

लेखक ने **जॉर्ज क्लेमन्सो** के कथन से निष्कर्ष निकाला —

“युद्ध इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसे केवल जनरलों पर नहीं छोड़ा जा सकता।”

इसी प्रकार, न्याय भी इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता।

नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे एक समावेशी और न्यायसंगत न्यायिक प्रणाली के निर्माण में भागीदार बनें।

### HOW TO USE IT

यह बहस एक महत्वपूर्ण शासन घाटे (Governance Deficit) को उजागर करती है — वर्तमान, अपारदर्शी कोलेजियम प्रणाली न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व और विविधता सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसके विपरीत, मेरिट-आधारित, पारदर्शी संस्थागत सुधार (AIJS) इस समस्या को संबोधित करने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence) के सिद्धांत को संतुलित रखा जाए।

**मुख्य प्रासंगिकता:** GS Paper II (शासन, संविधान, राजनीति)

**1. न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली (Structure, Organization and Functioning of the Judiciary)**

**कैसे उपयोग करें:**

यह मुद्दे का मूल है। उच्च न्यायपालिका में

लिंग असंतुलन (Gender Imbalance) के आंकड़े सीधे तौर पर न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की आलोचना करते हैं।

**मुख्य बिंदु:**

- **कोलेजियम प्रणाली एक “Closed Shop” के रूप में:** यह एक अत्यधिक नेटवर्क-आधारित प्रणाली है जो समान पृष्ठभूमि वाले लोगों को आगे बढ़ाती है — परिणामस्वरूप केवल 14% महिलाएँ उच्च न्यायालयों में, 3.1% सर्वोच्च न्यायालय में, और 25 में से केवल 1 महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।
- **निचली न्यायपालिका से तुलना:** निचली अदालतों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 38% है क्योंकि वहाँ चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होता है। यह दिखाता है कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली अधिक न्यायसंगत होती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) बनाने का अधिकार देता है, जिसमें AIJS भी शामिल हो सकता है।

**2. संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ व कार्य (Appointments to Constitutional**

## Posts, Powers, Functions and Responsibilities of Constitutional Bodies)

### कैसे उपयोग करें:

AJIS का प्रस्ताव एक नई **संवैधानिक सेवा (Constitutional Service)** के निर्माण से जुड़ा है।

### मुख्य बिंदु:

- **UPSC की भूमिका:** UPSC को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया गया है, ताकि उसके सिद्ध निष्पक्षता और पारदर्शिता के मॉडल का लाभ उठाया जा सके।
- **शक्तियों का संतुलन:** प्रस्तावित मॉडल में UPSC (चयन), सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय (पात्रता, नियंत्रण, प्रशिक्षण) की भूमिकाओं का विभाजन किया गया है। यह न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है।

### 3. प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Representation of People's Act)

#### कैसे उपयोग करें:

हालाँकि यह सीधे चुनावों से संबंधित नहीं है, परंतु **प्रतिनिधित्व (Representation)** का सिद्धांत यहाँ महत्वपूर्ण है।

### मुख्य बिंदु:

- न्यायपालिका में जनता का विश्वास तभी बन सकता है जब उसकी संरचना समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करे।
- यदि न्यायपालिका समाज के एक संकीर्ण वर्ग द्वारा नियंत्रित है, तो उसकी वैधता (Legitimacy) और प्रतिनिधिक चरित्र कमजोर पड़ता है।

### द्वितीयक प्रासंगिकता: GS Paper I (समाज) और GS Paper IV (नीति-नैतिकता)

#### 1. GS Paper I: महिलाओं की भूमिका और सामाजिक सशक्तिकरण (Role of Women and Social Empowerment)

#### कैसे उपयोग करें:

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि देश के सबसे शक्तिशाली पेशेवर क्षेत्र में भी महिलाएँ संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही हैं।

### मुख्य बिंदु:

- महिलाओं की कम उपस्थिति का कारण **मेरिट की कमी नहीं, बल्कि संगठनात्मक व नेटवर्क आधारित पूर्वाग्रह (Old Boys' Club)** हैं।
- न्यायपालिका में महिलाओं का प्रवेश सामाजिक सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए।

## 2. GS Paper IV: नैतिकता और प्रशासनिक ईमानदारी (Ethics and Probity in Governance)

### कैसे उपयोग करें:

यह मुद्दा सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता से जुड़ा है।

### मुख्य बिंदु:

- **पारदर्शिता बनाम गोपनीयता:** कोलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता नैतिक जवाबदेही (Ethical Accountability) के सिद्धांतों के विपरीत है।
- **निष्पक्षता और भेदभाव-रहितता:** एक नैतिक न्यायपालिका केवल अपने निर्णयों में ही नहीं, बल्कि अपनी संरचना में भी निष्पक्ष और भेदभाव-रहित होनी चाहिए।
- **उद्धरण:** “न्याय इतना गंभीर विषय है कि इसे पूरी तरह से केवल न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा जा सकता।” — यह कथन लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन का शक्तिशाली नैतिक तर्क प्रस्तुत करता है।

**शरणार्थी और घुसपैठिए (Refugees, Infiltrators)**

### उपशीर्षक:

भारत को एक ऐसा गैर-भेदभावपूर्ण (Non-Discriminatory) शरणार्थी नीति दस्तावेज़ चाहिए जो सभी के लिए समान मानक तय करे।

### प्रसंग और केंद्रीय तर्क (Context and Central Argument)

#### मुख्य विचार:

गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात रेखांकित की कि शरणार्थियों (Refugees) और घुसपैठियों (Infiltrators) के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

यह तर्क सही है, परंतु समस्या यह है कि भारत में इस अंतर को निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी और वस्तुनिष्ठ मापदंड (Objective Criteria) नहीं है।

इसीलिए भारत को एक समग्र और गैर-भेदभावपूर्ण शरणार्थी नीति (Comprehensive Refugee Policy) की आवश्यकता है।

### कानूनी और संस्थागत संदर्भ (Legal and Institutional Context)

#### 1. अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति (International Legal Position)

भारत ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं:

- 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन (UN Convention on the Status of Refugees)
- 1967 का प्रोटोकॉल (Protocol)

इस कारण, भारत में कोई राष्ट्रीय कानून यह परिभाषित नहीं करता कि “शरणार्थी” कौन है। यह स्थिति **मनमाने व्यवहार और असंगत नीति-निर्माण** को जन्म देती है।

## 2. मौजूदा कानूनी ढाँचा (Existing Legal Framework)

मार्च 2025 तक भारत में निम्नलिखित कानून लागू थे:

- Citizenship Act, 1955
- Passports Act, 1967
- और तीन औपनिवेशिक युग के कानून:
  - Foreigners Act, 1946
  - Registration of Foreigners Act, 1939
  - Passport (Entry into India) Act, 1920

**अप्रैल 2025 से:**

इन सबकी जगह **Immigration and Foreigners Act** लागू होगी, जो पुराने कानूनों को मिलाकर एकीकृत रूप में लाएगी। इसमें **Immigration (Carriers' Liability) Act, 2000** भी सम्मिलित किया जाएगा।

🕒 **नीति और कार्यान्वयन से जुड़ी समस्याएँ (Policy and Implementation Issues)**

## 1. शरणार्थी नीति दस्तावेज़ का अभाव (Absence of a Refugee Policy Document)

भारत के पास विभिन्न कानूनी उपकरण तो हैं, परंतु एक **एकीकृत नीति दस्तावेज़** नहीं है। इसका परिणाम है — विभिन्न शरणार्थी समूहों के लिए अलग-अलग व्यवहार।

## 2. असमान व्यवहार के उदाहरण (Example of Unequal Treatment)

- **तिब्बती शरणार्थी:** पुनर्वास नीति (2014) लागू — लगभग **63,000** लोग।
- **श्रीलंकाई तमिल:** लगभग **97,000**, परंतु कोई औपचारिक पुनर्वास दस्तावेज़ नहीं।

**जून 2023 तक:**

भारत में कुल **2.11 लाख शरणार्थी / व्यक्ति “of concern”** हैं, जिनमें शामिल हैं — म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के शरणार्थी।

जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं या जिनका वीज़ा खत्म हो चुका है, उन्हें **नागरिकता अधिनियम** के तहत **अवैध प्रवासी (Illegal Migrant)** माना जाता है और कई बार “घुसपैठिया” कहकर उत्पीड़ित किया जाता है — भले ही वे वास्तविक शरणार्थी हों।



## ■ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA)

### उद्देश्य:

निम्नलिखित देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना:

- बांग्लादेश
- पाकिस्तान
- अफगानिस्तान

इनमें शामिल धार्मिक समूह हैं — हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।

### आलोचना:

यह अधिनियम **भेदभावपूर्ण** माना गया है क्योंकि इसमें मुसलमानों और अन्य पीड़ित समूहों (जैसे श्रीलंकाई तमिल, रोहिंग्या) को शामिल नहीं किया गया।

### विशेष प्रावधान:

तमिल शरणार्थियों को छूट दी गई है, यदि —

- उन्होंने पंजीकरण कराया हो, और
- 9 जनवरी 2015 से पहले भारत आए हों।

परंतु, जो इसके बाद आए हैं, वे समान परिस्थितियों में होने के बावजूद इस छूट के पात्र नहीं हैं।

### 🧠 मुख्य मुद्दे और निहितार्थ (Key Issues and Implications)

#### 1. समान मानदंडों की कमी:

एकसमान कानूनी पैरामीटर के अभाव में अधिकारियों के निर्णय मनमाने होते हैं।

इसका परिणाम — मानवीय दृष्टिकोण से असंगत व्यवहार।

#### 2. भेदभावपूर्ण ढांचा:

CAA जैसी चयनात्मक नीतियाँ **संवैधानिक समानता**

(Constitutional Equality) और भारत के **धर्मनिरपेक्ष मूल्यों** को कमजोर करती हैं।

#### 3. मानवीय बनाम सुरक्षा दुविधा:

शरणार्थी (पीड़ित) और घुसपैठिए (अवैध प्रवासी) के बीच ओवरलैप नीति-प्रवर्तन को कठिन बनाता है।

आवश्यकता है **मानवीय और वस्तुनिष्ठ मानदंडों** की।

### आगे की राह (Way Forward)

चुनौती	आवश्यक कदम
कोई समग्र शरणार्थी कानून नहीं	एक <b>Refugee and Asylum Act</b> बनाया जाए जो शरणार्थियों की स्थिति और अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित करे

चुनौती	आवश्यक कदम
मनमाना व्यवहार	सभी के लिए समान <b>कानूनी मानदंड</b> स्थापित किए जाएँ
भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण (CAA)	धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाए
नौकरशाही भ्रम	अधिकारियों को मानवीय और सुसंगत व्याख्या के लिए प्रशिक्षण दिया जाए

### निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से **मानवीय (Humanitarian)** रहा है, परंतु **असंगत (Inconsistent)**।

यदि भारत इस **नैतिक ऊँचाई (Moral High Ground)** को बनाए रखना चाहता है, तो उसे एक **स्पष्ट, सुसंगत और न्यायसंगत शरणार्थी नीति** बनानी होगी — जो सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो।

**सच्ची मानवता (True Humanitarianism)** वही है जो **गैर-भेदभावपूर्ण (Non-Discriminatory)** हो — जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए शरण लेने वालों की गरिमा (Dignity) का सम्मान करे।

### HOW TO USE

भारत की **अल्पकालिक और कानूनी रूप से अस्पष्ट** शरणार्थी नीति उसकी **मानवीय परंपराओं और कानूनी निश्चितता, गैर-भेदभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा** के सिद्धांतों के बीच एक टकराव पैदा करती है। इस समस्या के समाधान के लिए एक **कानून-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण ढांचे** की आवश्यकता है जो मानवीय दायित्वों और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

**मुख्य प्रासंगिकता:** जीएस पेपर II (शासन, संविधान, सामाजिक न्याय)

**1. भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना:**

- **कैसे उपयोग करें:** यह बहस **संवैधानिक नैतिकता** बनाम **संसदीय कानून** के इर्द-गिर्द घूमती है।

#### • मुख्य बिंदु:

- **मौलिक अधिकार:** तर्क दें कि एक शरणार्थी नीति **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)** और **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)** के अनुरूप होनी चाहिए, जो केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों पर लागू



होते हैं। वर्तमान चयनात्मक दृष्टिकोण (जैसे, नागरिकता संशोधन अधिनियम - CAA) की आलोचना इसी भावना का उल्लंघन करने के लिए की जाती है।

- **पंथनिरपेक्षता:** CAA का भेदभावपूर्ण स्वरूप, जो मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखता है, संविधान के पंथनिरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध बहस का विषय है।

**2. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप और उनकी रूपरेखा और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे:**

- **कैसे उपयोग करें:** एक समान नीति का अभाव अपने आप में एक *नीतिगत विफलता* है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis):** विभिन्न समूहों के साथ "असमान व्यवहार" (तिब्बतियों के लिए 2014 की नीति है, जबकि श्रीलंकाई तमिलों के लिए नहीं) को असंगत नीति कार्यान्वयन का एक उदाहरण बताएं, जो मनमाने परिणाम देता है।

- **कार्यान्वयन की चुनौती:** प्रशिक्षित अधिकारियों और स्पष्ट मानदंडों के अभाव में वास्तविक शरणार्थियों को परेशान किया जाता है और उन्हें गलत तरीके से "घुसपैठिए" का लेबल लगा दिया जाता है।

**मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (सुरक्षा, आपदा प्रबंधन)**

**1. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन:**

- **कैसे उपयोग करें:** गृह मंत्री द्वारा शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर पर जोर देना आंतरिक सुरक्षा का केंद्रीय विषय है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता:** सुरक्षा खतरों ("घुसपैठियों") की वास्तविक पहचान करने और प्रबंधित करने के लिए एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है, ताकि सभी विदेशियों को एक ही ब्रश से न पोछा जाए।

- **सीमा प्रबंधन:** एक मजबूत शरणार्थी कानून, नए आप्रवासन और विदेशी अधिनियम के साथ मिलकर प्रवेश, पंजीकरण और निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाएगा।

## 2. आपदा प्रबंधन:

- **कैसे उपयोग करें:** शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर आना अक्सर एक मानव-निर्मित आपदा का रूप होता है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - एक राष्ट्रीय शरणार्थी नीति को बड़े पैमाने पर आने वाले लोगों (जैसे, म्यांमार से रोहिंग्या, अतीत में श्रीलंकाई तमिल) से एक समन्वित और मानवीय तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

**द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर IV**  
(नैतिकता एवं अंतराष्ट्रीय संबंध)

## 1. जीएस IV: नैतिकता और मानवीय इंटरफेस:

- **कैसे उपयोग करें:** यह मुद्दा गहराई से नैतिक है।
- **मुख्य बिंदु:**

- **मानवीय नैतिकता बनाम कानूनवाद:** भारत में *अहिंसा* की परंपरा और शरण देने (जैसे, तिब्बती, श्रीलंकाई, 1971 में बांग्लादेशी) का इतिहास रहा है। वर्तमान कानूनी शून्यता इस मानवीय आवेग और एक सख्त, अक्सर भेदभावपूर्ण, कानूनवाद के बीच चयन करने को मजबूर करती है।
- **नैतिक नेतृत्व:** गैर-भेदभावपूर्ण मानवतावाद को बनाए रखना, जैसा कि लेख सुझाव देता है, भारत की *सॉफ्ट पावर* और वैश्विक नैतिक स्थिति को बढ़ाता है।

## 2. विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव:

- **कैसे उपयोग करें:** भारत का रुख अंतराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - 1951 के UN शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर न करना, भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एक घरेलू कानून

राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए  
इन चिंताओं को दूर कर सकता  
है।

### वैश्विक आर्थिक रूपांतरण का मार्गदर्शन (Navigating the Global Economic Transformation)

#### 1. मुख्य तर्क: वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भूकंपीय परिवर्तन (A Seismic Shift in the Global Economic Order)

दुनिया वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक रूपांतरण  
(Major Transformation) से गुजर रही है, जो  
अमेरिका और चीन के बीच महाशक्ति संघर्ष  
द्वारा प्रेरित है।

यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार, वित्त और  
रणनीति को पुनः आकार दे रहा है — परंतु यह  
एक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था (Equitable  
World Order) स्थापित करने का दुर्लभ  
अवसर भी प्रदान करता है।

#### 2. वैश्विक आर्थिक रूपांतरण के पाँच प्रमुख चालक (Five Key Drivers of Global Economic Transformation)

##### 1. जनवादी-तानाशाहों (Populist- Autocrats) और भाई-भतीजावादी पूँजीवाद (Crony Capitalism) का उदय:

- एक नया मॉडल उभर रहा है जिसमें  
**राज्य और बड़े निगम (Oligopolies)**  
आपस में गहराई से जुड़े हैं।
- सरकारें इन कॉर्पोरेट समूहों को  
**राजनीतिक समर्थन के बदले आर्थिक  
सुविधाएँ** प्रदान करती हैं।
- परिणामस्वरूप, **जनकल्याण की  
उपेक्षा**, सार्वजनिक संपत्तियों का  
निजीकरण, और **नीतियों का  
विकृतिकरण** होता है — जिससे  
**सामाजिक अनुबंध (Social  
Contract)** कमजोर पड़ता है।

##### 2. पुनरुत्थानशील लोकतांत्रिक आदिमता और अमेरिकी प्रभुत्व (Resurgent Democratic Primordialism & U.S. Hegemony):

- अमेरिका अपनी नीति “**America  
First**” और नारा “**Make America  
Great Again**” के तहत एकतरफा  
कदम उठा रहा है।

##### • उदाहरण:

- ताइवान पर चिप निर्माण हेतु  
दबाव,
- पनामा जैसे व्यापार मार्गों की  
सुरक्षा,
- दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति  
श्रृंखला मजबूत करना,

- पाकिस्तान में डिजिटल मुद्रा को विदेश नीति से जोड़ना,
- आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य दबाव बनाना।
- यह “नियंत्रण के क्षेत्रों (Spheres of Control)” की संकीर्ण सोच को बढ़ावा देता है, जिससे वैश्विक संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं।

### 3. बड़ी टेक कंपनियों की शक्ति और डिजिटल उपनिवेशवाद (Big Tech and Digital Colonialism):

- **Big Tech** और “Cloud Capitalists” आज वैश्विक स्तर पर डेटा-संसाधन, जनचेतना, और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं।
- **डिजिटल उपनिवेशवाद के उदाहरण:**
  - AI Action Plan,
  - Cloud Act,
  - SWIFT का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग,
  - राज्य समर्थित डिजिटल मुद्राएँ।
- इन नीतियों से राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानदंड, और राजनीतिक पारदर्शिता को खतरा पैदा हुआ है।

### 4. विकास सहायता (Developmental Aid) की वापसी:

- जनवादी-तानाशाह देशों द्वारा विकास सहायता में कटौती से लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों को अवसर मिला है।
- परिणाम:
  - अफ्रीका में गरीबी में भारी वृद्धि,
  - नेपाल जैसे देशों से पलायन बढ़ा,
  - मजबूरी में प्रवास (Distress Migration) और सशस्त्र समूहों में भर्ती में वृद्धि।

### 5. अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध (U.S. Tariffs and Sanctions):

- अमेरिका ने 70 से अधिक देशों पर टैरिफ और 30 से अधिक देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
- इससे व्यापार, पूँजी, और विचारों का मुक्त प्रवाह बाधित हुआ है।
- इसके जवाब में ग्लोबल साउथ (Global South) ने वैकल्पिक रास्ते खोजने शुरू किए हैं —
  - द्विपक्षीय व्यापार समझौते,
  - स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखलाएँ,

- डॉलर पर निर्भरता घटाना (De-dollarization),
- नई मुद्राओं की खोज।

### 3. भारत और ग्लोबल साउथ के लिए अवसर (Opportunity for India and the Global South)

पुराने नव-उदारवादी मॉडल (Neoliberal Model) — जो पूँजी संचय, सस्ती श्रम शक्ति और पर्यावरणीय दोहन पर आधारित था — अब असमानता और ऋण संकट से जूझ रहा है।

भारत और ग्लोबल साउथ के सामने अब दो विकल्प हैं:

1. एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार करना, या
2. मिलकर एक नया आर्थिक सौदा (New Economic Deal) बनाना।

भारत के लिए प्रस्तावित कदम:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार कर ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना।
- ऋण-मुक्ति ढाँचा (Debt Relief Framework) तैयार कर विकासशील देशों को राहत देना।
- नए आर्थिक गठबंधन (जैसे BRICS, South-South सहयोग) को सशक्त बनाना।

- न्यायसंगत व्यापार नीतियाँ (Fair Trade Policies) बनाकर घरेलू उद्योगों की रक्षा करना।
- द्विदलीय (Bipartisan) साझेदारी को बढ़ाकर विदेश नीति को सरकार परिवर्तन से सुरक्षित रखना।

### 4. भारत में घरेलू पुनर्संयोजन की आवश्यकता (Need for Domestic Recalibration in India)

भारत को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए घरेलू पाठ्यक्रम-सुधार (Course Correction) की आवश्यकता है।

राज्य की नेतृत्वकारी भूमिका:

- ऊर्जा, अवसंरचना, डेटा, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्य को पूर्वी एशिया मॉडल की तरह सक्रिय और नियंत्रक भूमिका निभानी चाहिए।

नियमन और निवेश (Regulation and Investment):

- एंटी-मोनोपॉली कानून सख्त बनाए जाएँ।
- सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Fund) स्थापित किए जाएँ (जैसे नॉर्वे में)।
- वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में भारी निवेश किया जाए।

- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) को निजीकरण की बजाय रणनीतिक रूप से पुनर्नियोजित किया जाए — जैसे चीन के राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम करते हैं।
- डिजिटल-वित्तीय ढाँचा को संवैधानिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाए।

#### 5. निष्कर्ष: “भारतीय मार्ग” (The India Way Forward)

- भारत की विदेश नीति को प्रदर्शनात्मक (Performative) नहीं, बल्कि सार्थक (Substantive) होना चाहिए।
- नीति का मूल सिद्धांत होना चाहिए — गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment), चाहे उसे आज “बहु-संरेखण (Multi-Alignment)” के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाए।
- भारत को दलीय विभाजन (Partisanship) से ऊपर उठकर अपने राष्ट्रीय मार्ग (National Direction) पर सहमति बनानी होगी।
- तभी भारत इस स्वर्णिम अवसर (Golden Opportunity) का उपयोग कर वैश्विक मंच पर अपना उचित स्थान (Rightful Place) प्राप्त कर सकेगा।

#### HOW TO USE IT

दुनिया एक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के मोड़ पर है।

शीत युद्ध के बाद का नव-उदारवादी (neoliberal) क्रम टूट रहा है, जिससे भारत और वैश्विक दक्षिण (Global South) के लिए न केवल बड़े जोखिम पैदा हो रहे हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी है कि वे एक अधिक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय (multipolar) विश्व व्यवस्था का निर्माण करें, बशर्ते वे आवश्यक घरेलू सुधार करें।

**प्राथमिक प्रासंगिकता:** GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

**1. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जो भारत को प्रभावित करते हैं या जिनमें भारत शामिल है:**

**उपयोग का तरीका:** यह पूरी विश्लेषण यह समझाने में मदद करता है कि भारत की विदेश नीति के पीछे “क्यों” है।

**मुख्य बिंदु:**

- बहु-संरेखण (Multi-Alignment) की आवश्यकता: भारत का QUAD, BRICS और I2U2 जैसे समूहों के साथ जुड़ाव इन पांच प्रमुख चालकों (drivers) का सीधा परिणाम है—
  - चीनी प्रभाव को कम करना (Driver #2)



- डिजिटल उपनिवेशवाद को कम करना (Driver #3)
- पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों के विकल्प तैयार करना (Driver #5)
- **"भारत का तरीका" – असंरेखण (Non-Alignment):** निष्कर्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी भी ब्लॉक के साथ पूर्ण संरेखण न करने का निर्णय भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने के लिए है।
- **मजबूत और स्थायी रिश्ते बनाना:** यह बिंदु तब उपयोगी है जब भारत के अमेरिका, रूस या यूरोपीय संघ के साथ संबंधों की चर्चा हो, यह दर्शाता है कि नीति निरंतरता व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

## 2. भारत और उसके पड़ोसी – संबंध:

**उपयोग का तरीका:** ये चालकों का प्रत्यक्ष असर दक्षिण एशिया पर पड़ता है।

### मुख्य बिंदु:

- **चीनी और अमेरिकी प्रभाव:** Driver #2 (अमेरिकी प्रभुत्व) और Driver #1 (भ्रष्ट पूंजीवाद) यह समझाते हैं कि चीन भारत के पड़ोस में BRI जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किस तरह

रणनीतिक और आर्थिक foothold बना रहा है।

- **मदद की वापसी का असर (Driver #4):** यह पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में संकट (जैसे नेपाल, श्रीलंका) से जुड़ा है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है और प्रवासन पर असर पड़ सकता है, जो सीधे भारत की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

### प्राथमिक प्रासंगिकता: GS पेपर III

(अर्थव्यवस्था और सुरक्षा)

## 1. भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे:

### उपयोग का तरीका: "Domestic

Recalibration" सेक्शन नीति निर्माण के लिए तैयार ब्लूप्रिंट प्रदान करता है।

### मुख्य बिंदु:

- **राज्य की मुख्य भूमिका:** पीएसयू के भूमिका पर बहस में इसका उपयोग करें। तर्क दें कि इन्हें निजीकरण के बजाय रणनीतिक क्षेत्रों (ऊर्जा, रक्षा, डेटा) में पुनः तैनात करना चाहिए, जैसा कि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है।
- **सॉवरेन वेल्थ फंड और एंटी-मोनोपोली नियम:** ये विशिष्ट नीतिगत सुझाव हैं।

रणनीतिक निवेश के लिए फंड बनाने और बिग टेक के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिया जा सकता है।

- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** विज्ञान और शिक्षा में भारी निवेश को आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) में आवश्यक तकनीकों के लिए जोड़ें।

## 2. उदारीकरण के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

**उपयोग का तरीका:** लेख पुरानी नव-उदारवादी (neoliberal) मॉडल की आलोचना करता है।

### मुख्य बिंदु:

- वर्तमान वैश्विक बदलाव को नव-उदारवादी मॉडल की असफलताओं (उदाहरण: असहनीय ऋण और असमानता) से जोड़कर तर्क दें। यह भारत की नई विकास रणनीति की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

## 3. सीमाओं में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन:

**उपयोग का तरीका:** इन चालकों का प्रत्यक्ष सुरक्षा आयाम है।

### मुख्य बिंदु:

- **व्यापार और वित्त का हथियारबंद उपयोग (Driver #5):** अमेरिकी प्रतिबंध और SWIFT का हथियारबंद उपयोग आर्थिक बाध्यता के उपकरण हैं, जिनसे बचाव के लिए भारत को डॉलर-मुक्तिकरण (de-dollarization) और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए।
- **डिजिटल उपनिवेशवाद (Driver #3):** डेटा संप्रभुता और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (जैसे 5G और क्लाउड नेटवर्क) पर नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

**द्वितीयक प्रासंगिकता:** GS पेपर I (समाज) और GS पेपर IV (नैतिकता)

## 1. GS I: वैश्वीकरण और इसके सामाजिक प्रभाव:

**उपयोग का तरीका:** चालकों से वैश्वीकरण के सामाजिक परिणाम समझाए जा सकते हैं।

### मुख्य बिंदु:

- **विभ्रमित प्रवासन (Distress Migration, Driver #4):** विकासात्मक सहायता की वापसी से बढ़ती गरीबी और प्रवासन, सामाजिक संरचनाओं पर दबाव डाल सकती है।

## 2. GS IV: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता:

### उपयोग का तरीका: "New Economic Deal"

की आवश्यकता नैतिक दृष्टिकोण से समझाई जा सकती है।

### मुख्य बिंदु:

- भारत की संभावित नेतृत्व भूमिका को एक अधिक न्यायसंगत और समान वैश्विक व्यवस्था के लिए नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करें, संकीर्ण स्वार्थ-आधारित विदेश नीति से आगे बढ़कर।

**भारत की स्वच्छ ऊर्जा आकांक्षाओं में  
'महत्वपूर्ण तत्व'**

## 1. मुख्य चुनौती और महत्वाकांक्षा

**महत्वाकांक्षा:** भारत को स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) में वैश्विक नेता बनाना और 2030 तक 500 GW की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) हासिल करना।

**महत्वपूर्ण कारक:** पूरी हरित संक्रमण (Green Transition) इस बात पर निर्भर करती है कि भारत क्रिटिकल मिनरल्स और रियर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल को सुरक्षित कर सके।

**समस्या:** भारत इन कई महत्वपूर्ण खनिजों पर भारी रूप से आयात-निर्भर है (कई मामलों में

लगभग 100%), जिससे चीन के प्रभुत्व वाले सप्लाई चेन में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

## 2. क्रिटिकल मिनरल्स क्यों आवश्यक हैं

वे मुख्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य हैं:

- **इलेक्ट्रिक वाहन (EVs):** बैटरियों के लिए; EV बाजार 2023-2030 तक 49% CAGR की दर से बढ़ने की संभावना है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर पैनल, पवन टरबाइन और ऊर्जा भंडारण बाजार के लिए (2023 में मूल्य \$2.8 बिलियन)।
- **रणनीतिक महत्व:** खनिजों की सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

## 3. भारत की वर्तमान पहल और क्षमता

### घरेलू क्षमता:

- लिथियम: जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में अप्रयुक्त संसाधन
- REEs: ओडिशा और आंध्र प्रदेश

### नीति सुधार:

- **Mines and Minerals (Development and Regulation)**

**Act, 2021 & 2023:** अन्वेषण को तेज़ किया और निजी क्षेत्र की भागीदारी खोली।

- **National Critical Mineral Mission (NCMM):** ₹34,300 करोड़ की योजना पूरे मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए।

#### प्रगति:

- जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम की खोज
- क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी

#### 4. निवेश और कार्रवाई के मुख्य क्षेत्र

क्षेत्र	वर्तमान चुनौती / आवश्यक कार्रवाई
घरेलू खनन (Domestic Mining)	GDP में केवल 2.5% का योगदान (ऑस्ट्रेलिया में 13.6%)। लाइसेंसिंग सरल बनाना, वित्तीय प्रोत्साहन (सब्सिडी, टैक्स ब्रेक), और खनन पट्टों का तेज़ी से संचालन जरूरी।
प्रसंस्करण और रिफाइनिंग	भारत वैश्विक REE उत्पादन में <1%

क्षेत्र	वर्तमान चुनौती / आवश्यक कार्रवाई
(Processing & Refining)	योगदान करता है। PPPs और पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी समर्थन के माध्यम से तेज़ी से क्षमता निर्माण आवश्यक।
वैश्विक साझेदारी (Global Partnerships)	KABIL को विदेशी खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण तेज़ करना चाहिए। NMDC, IREL जैसी राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों को घरेलू और वैश्विक प्रोजेक्ट्स में निजी साझेदार चाहिए।
सर्कुलर अर्थव्यवस्था और रीसाइक्लिंग (Circular Economy & Recycling)	भारत अपने ~4 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ई-कचरे का केवल 10% ही रीसाइकिल करता है। उन्नत रीसाइक्लिंग सुविधाएँ, Battery Waste Management Rules (2022) का बेहतर कार्यान्वयन, और पब्लिक-प्राइवेट हब तकनीकी वृद्धि के लिए आवश्यक।

### 5. आगे का रास्ता: निष्कर्ष

- **राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनेरल मिशन** और हाल की नीलामी सकारात्मक शुरुआती कदम हैं।
- **सफलता का आधार:** मजबूत राज्य समर्थन, स्पष्ट नीतियाँ, और प्रभावी सार्वजनिक-निजी सहयोग।
- एक मजबूत खनिज पारिस्थितिकी तंत्र न केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि देश को **हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) का नेता** भी बनाएगा, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देगा।

### HOW TO USE

स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण केवल तकनीकी या पर्यावरणीय बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक भू-राजनीतिक और संसाधन आधारित प्रतिस्पर्धा भी है। भारत की हरित नेता बनने की महत्वाकांक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वह **क्रिटिकल मिनेरल्स (Critical Minerals)** के लिए एक **सशक्त और संप्रभु आपूर्ति श्रृंखला** सुनिश्चित कर सके, ताकि आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता और वैश्विक साझेदारी की स्थिति में पहुंचा जा सके।

**प्राथमिक प्रासंगिकता:** GS पेपर III

(अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा)

### 1. भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

**उपयोग का तरीका:** यह मुख्य अनुप्रयोग है।

क्रिटिकल मिनेरल्स 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए "नई तेल" (New Oil) हैं।

### मुख्य बिंदु:

- **आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता:** लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों पर लगभग 100% आयात निर्भरता, जो चीन के प्रभुत्व में हैं, यह इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी उभरती उद्योगों (EVs, 49% CAGR) के लिए एक प्रमुख रणनीतिक जोखिम है।
- **नीति पहल:** Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 2021 & 2023 और ₹34,300 करोड़ की **National Critical Mineral Mission (NCMM)** जैसे प्रमुख सुधारों को आर्थिक जोखिम कम करने के लिए आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप के रूप में चर्चा करें।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सफलता के लिए PSUs जैसे KABIL और निजी कंपनियों का सहयोग जरूरी है, चाहे वह घरेलू खनन हो या विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण।

## 2. संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

**उपयोग का तरीका:** क्रिटिकल मिनेरल्स की खनन गतिविधियों को सतत विकास (Sustainable Development) से जोड़ें।

### मुख्य बिंदु:

- **सतत खनन:** घरेलू खनन (जैसे जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम) को कठोर पर्यावरण सुरक्षा उपायों और समुदाय की भागीदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
- **सर्कुलर अर्थव्यवस्था:** ई-कचरे के रीसाइक्लिंग की कम दर (सिर्फ 10%) एक बड़ी कमी है। **Battery Waste Management Rules, 2022** का हवाला देकर उन्नत रीसाइक्लिंग सुविधाओं की आवश्यकता बताएं, ताकि वर्जिन खनिजों की आवश्यकता कम हो और सर्कुलर अर्थव्यवस्था स्थापित हो सके।

## 3. सीमाओं में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन

**उपयोग का तरीका:** संसाधन सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक घटक के रूप में प्रस्तुत करें।

### मुख्य बिंदु:

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** क्रिटिकल मिनेरल्स के लिए किसी एक देश (चीन) पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला रक्षा (जैसे सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस) और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **संसाधन कूटनीति:** विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण में KABIL की भूमिका **आर्थिक कूटनीति और संसाधन कूटनीति** का एक रूप है, ताकि सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

**द्वितीयक प्रासंगिकता:** GS पेपर II (शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

## 1. विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

**उपयोग का तरीका:** यह पूरी प्रतिक्रिया नीति-संचालित विकास का एक केस स्टडी है।

### मुख्य बिंदु:

- NCMM और MMDR Act संशोधनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, खासकर निजी निवेश आकर्षित करने और खनन क्षेत्र को सरल बनाने में।



2. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जो भारत को प्रभावित करते हैं या जिनमें भारत शामिल है

**उपयोग का तरीका:** क्रिटिकल मिनेरल्स की खोज भारत की विदेश नीति को आकार दे रही है।

**मुख्य बिंदु:**


- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी:** भारत ऑस्ट्रेलिया (Critical Minerals Investment Partnership के माध्यम से) और अर्जेंटीना जैसे संसाधन-समृद्ध देशों के साथ सक्रिय साझेदारी कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके।
- **QUAD जैसे समूह:** Quadrilateral Security Dialogue (Quad) में क्रिटिकल और उभरती तकनीकों पर सहयोग का मजबूत स्तंभ है, जो इन मिनेरल्स की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की आवश्यकता पर आधारित है।

**क्यों नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना दोषपूर्ण है?**

**उपशीर्षक:**

क्या म्युनिसिपल बॉन्ड स्थानीय वित्त का नया क्षेत्र हैं? क्या करों का अत्यधिक केंद्रीकरण समस्या है?

**लेखक:** टिकंदर सिंह पंवार

 **केंद्रीय तर्क**

हालांकि भारतीय शहरी नगरपालिकाएं देश की GDP का लगभग दो-तिहाई योगदान करती हैं, वे देश के कर राजस्व का 1% से भी कम नियंत्रित करती हैं।

यह वित्तीय असंतुलन कर शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण और गहरी दोषपूर्ण नगर वित्त प्रणाली को दर्शाता है।

 **मुख्य समस्या**

भारतीय शहर केवल अक्षमता के कारण पिछड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इसके कारण हैं:

- टूटी हुई वित्तीय संरचना।
- केंद्रीय और राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता।
- पूर्वानुमेय, स्वायत्त राजस्व धाराओं की कमी।

 **1. शहरों ने अपना कर राजस्व कैसे खोया?**

**GST का प्रभाव:**

GST से पहले, शहर अपनी आय स्रोतों पर निर्भर थे जैसे:

- ऑक्टरोई (Octroi)

- एंट्री टैक्स (Entry Tax)
- स्थानीय अधिभार (Local Surcharges)

### GST के बाद:

ये सभी GST ढांचे में सम्मिलित हो गए।

### परिणाम:

- नगरपालिकाओं के पास अब अपनी आय स्रोतों का केवल 19% ही बचा है।
- राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता बढ़ गई।
- नगर वित्तीय आधार कमजोर हुआ, जिससे स्थानीय शासन और जवाबदेही प्रभावित हुई।

### 🕒 2. संरचनात्मक समस्या: शक्ति का उल्टा

#### वितरण

लोकतंत्र में शक्ति और जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।

लेकिन भारत में:

- शहरों से सेवाएँ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है (आवास, स्वच्छता, जलवायु सहनशीलता आदि)
- पर्याप्त वित्तीय शक्ति या स्वायत्तता के बिना।

**परिणाम:** जिम्मेदारी बिना राजस्व के होने का विरोधाभास।

### 🏠 3. म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में

#### पृष्ठभूमि:

- NITI Aayog की शहरी रणनीति के तहत इसे सुधार उपाय के रूप में बढ़ावा दिया गया।
- इसका उद्देश्य था:
  - नगर वित्त को सुधारना।
  - अनुदानों पर निर्भरता कम करना।

#### वास्तविकता:

- भारतीय नगरपालिकाओं के पास निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता नहीं है।
- शहर कर या उपयोग शुल्क से पूर्वानुमेय आय उत्पन्न करने में असफल रहते हैं।
- इसलिए बॉन्ड वित्त का सीमित और अविश्वसनीय स्रोत बने रहते हैं।

### ⚖️ 4. मूल्यांकन में संरचनात्मक पक्षपात

“स्वयं का राजस्व” मेट्रिक का मुद्दा:

- शहरों का प्रदर्शन मुख्य रूप से स्वयं के राजस्व संग्रह (जैसे संपत्ति कर, उपयोग शुल्क) से मापा जाता है।
- यह उच्चतर स्तर के सरकारों से मिलने वाले अनुदान और हस्तांतरण को नजरअंदाज करता है।

#### RBI का दृष्टिकोण:

- RBI और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां नगर राजस्व को “गैर-आवर्ती” (non-recurring) मानती हैं,
- जिससे शहरों की वास्तविक आय क्षमता कमजोर दिखाई जाती है।
- यह दृष्टिकोण शहरों को निर्भर बनाए रखता है और केंद्रीकृत वित्तीय मानसिकता को मजबूत करता है।

#### 5. वित्तीय संघवाद में अन्याय

##### वर्तमान असंतुलन:

- राज्य और संघीय सरकारें करों का अधिकतर हिस्सा लेती हैं, शहर केंद्र के सामने भिखारी बन जाते हैं।
- स्थानीय संपत्ति कर केवल 20-25% शहर के राजस्व आधार का निर्माण करते हैं — प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से सीमित।

##### परिणाम:

- शहरी वित्तीय बोझ नागरिकों, खासकर गरीबों पर पड़ता है:
  - उपयोग शुल्क
  - बुनियादी सेवाओं का निजीकरण
- इससे असमानता बढ़ती है और पानी, स्वच्छता, प्रकाश और गतिशीलता जैसी सेवाओं तक सामूहिक पहुँच कम हो जाती है।

#### 6. आगे का रास्ता

##### A. वित्तीय संघवाद का लोकतंत्रीकरण:

- शहरों को स्वायत्त वित्तीय शक्ति मिलनी चाहिए।
- नॉर्डिक मॉडल (डेनमार्क, स्वीडन आदि) की नकल करनी चाहिए, जहाँ:

- शहर कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा नियंत्रित करते हैं।
- पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है।

##### B. प्रस्तावित मुख्य कदम:

- शहरों को राष्ट्रीय प्रणाली में वित्तीय इकाई के रूप में मान्यता दें — केवल कार्यान्वयन एजेंसी न समझें।

- अनुदान प्रणाली में सुधार करें — इसे पूर्वानुमेय और प्रदर्शन से जोड़ें, विवेक से नहीं।
- GST या राज्य हिस्से को नगर विकास और उधारी के लिए आवंटित करने का अधिकार दें।
- नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा दें।
- वित्तीय समानता सुनिश्चित करें — गरीब शहरों को अनुपातिक समर्थन मिले।

## 7. व्यापक संदेश

### लेखक का तर्क:

- भारत की शहरी शासन व्यवस्था वित्तीय न्याय पर आधारित होनी चाहिए, केवल लेखांकन पर नहीं।
- शहर केवल खर्च केंद्र नहीं हैं, वे धन सृजनकर्ता हैं।
- वित्तीय स्वायत्तता के बिना, शहरी भारत की क्षमता अधूरी रह जाएगी।

### उद्धरण:

"सच्चा सुधार तब शुरू होता है जब शहरों को राष्ट्रीय समृद्धि के इंजन के रूप में माना जाए — न कि उच्चतर सरकारों पर निर्भर खर्च केंद्र के रूप में।"

## HOW TO USE IT

शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का वित्तीय संकट गहरी शासन कमी (governance deficit) और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (74th Constitutional Amendment Act) की भावना के उल्लंघन का संकेत है। यह वित्तीय संघवाद (fiscal federalism) की मूल असफलता को दर्शाता है, जहाँ सेवाएँ प्रदान करने वाले संस्थान (शहर) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण असमर्थ रहते हैं, जिससे अक्षमता, असमानता और शहरी विकास में रुकावट पैदा होती है।

**प्राथमिक प्रासंगिकता:** GS पेपर II (शासन, संविधान, संघवाद)

## 1. संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

**उपयोग का तरीका:** यह सबसे सीधे लागू होने वाला हिस्सा है। यह मुद्दा "संघीय असममिति (federal asymmetry)" का क्लासिक उदाहरण है, जहाँ तीसरी स्तर की शासन इकाई प्रभावहीन हो जाती है।

### मुख्य बिंदु:

- **74वें CAA का वादा बनाम वास्तविकता:** 74वां संशोधन ULBs को "स्वशासी संस्थान" के रूप में सशक्त बनाने का प्रयास था। हालांकि, कर

शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण (केंद्र और राज्य के पास) इस वादे को खाली कर देता है। शहर भारत की GDP का लगभग 66% योगदान करते हैं, लेकिन उनके पास कर राजस्व का 1% से भी कम नियंत्रण है।

- **वित्तीय संघवाद संकट:** लेख में "शक्ति का उल्टा वितरण (power inversion)" उजागर किया गया है—शहरों को सेवाओं (आवास, स्वच्छता) की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन संबंधित राजस्व उत्पन्न करने की शक्ति नहीं दी जाती। यह **subsidiarity** के सिद्धांत का उल्लंघन है (निर्णय सबसे नजदीकी स्तर पर लिए जाने चाहिए)।
- **GST का प्रभाव:** GST उदाहरण का उपयोग करके दिखाएँ कि ULBs ने अपने मूल राजस्व स्रोत जैसे ऑक्टरोई और एंटी टैक्स खो दिए, जिससे अनुदानों पर निर्भरता बढ़ी और स्थानीय जवाबदेही कमजोर हुई।

## 2. स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण और इसमें चुनौतियाँ

**उपयोग का तरीका:** पूरा लेख वित्तीय हस्तांतरण की विफलता पर केंद्रित है।

**मुख्य बिंदु:**

- **दोषपूर्ण मूल्यांकन:** नगरपालिकाओं का प्रदर्शन मुख्य रूप से "स्वयं का राजस्व" देखकर आंकना, जबकि हस्तांतरण को नजरअंदाज करना, एक संरचनात्मक पक्षपात है जो उन्हें निर्भर बनाए रखता है।
- **सीमित उपकरण:** म्युनिसिपल बॉन्ड सार्वभौमिक समाधान नहीं हैं क्योंकि ULBs के पास अस्थिर राजस्व धारा के कारण क्रेडिट योग्यता नहीं है।

**द्वितीयक प्रासंगिकता:** GS पेपर I (समाज) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)

### 1. GS I: शहरीकरण, समस्याएँ और उनके समाधान

**उपयोग का तरीका:** वित्तीय संकट को शहरी भारत की दिखाई दे रही समस्याओं से जोड़ें।

**मुख्य बिंदु:**

- निधियों की कमी से अपर्याप्त अवसंरचना, खराब स्वच्छता और महंगी आवास समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- बोझ नागरिकों पर बढ़ जाता है, उच्च उपयोग शुल्क के माध्यम से, जो गरीबों पर असमान रूप से असर डालता है और असमानता बढ़ाता है।

## 2. GS III: सरकारी बजट, संसाधनों का जुटान

**उपयोग का तरीका:** लेख शहरी सार्वजनिक वित्त की आलोचना प्रदान करता है।

### मुख्य बिंदु:

- प्रभावी शहरी अवसंरचना और सेवा वितरण के लिए शहरों को **वित्तीय सशक्तिकरण** देना आवश्यक है।
- लेख में उद्धृत **नॉर्डिक मॉडल** (Nordic model) तुलनात्मक विश्लेषण के लिए एक अच्छा उदाहरण है।

### भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) का भविष्य

#### परिचय

**भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC)** एक प्रस्तावित **मल्टीमोडल परिवहन नेटवर्क** है, जो भारत को अरब प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है, जिसमें समुद्री और रेल मार्ग शामिल हैं। यह **चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का विकल्प माना जा रहा है और इसका उद्देश्य **आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा सहयोग और एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देना है।

#### 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

##### (a) अनुकूल संदर्भ (2022)

- अब्राहम समझौते (2020) ने इज़राइल और कई अरब देशों के बीच संबंध सामान्य किए, जिससे क्षेत्रीय शांति की उम्मीदें बढ़ीं।
- इससे हाइफा पोर्ट (इज़राइल) का जॉर्डन के रेल नेटवर्क और खाड़ी देशों के साथ एकीकरण संभव हुआ।

#### (b) मजबूत संबंध

- भारत का UAE, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ गहरा साझेदारी बढ़ा, जिसके परिणामस्वरूप **I2U2 समूह** (India, Israel, UAE, U.S.) का गठन हुआ।
- इसने आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सहयोगी प्रोजेक्ट्स की नींव रखी।

#### (c) व्यापारिक महत्व

- यूरोपीय संघ (EU) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (136 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार)।
- IMEC, भूमध्यसागर के माध्यम से यूरोपीय बाजारों के लिए **भारत के निर्यात की लागत और समय को कम** कर सकता है।

#### 2. IMEC का महत्व



<b>आयाम</b>	<b>महत्व</b>
<b>आर्थिक</b>	भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सस्ता और तेज़ व्यापार मार्ग।
<b>रणनीतिक</b>	आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाता है और लाल सागर जैसे संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता कम करता है।
<b>लचीलापन</b>	हूथी हमलों और लाल सागर में समुद्री व्यवधानों का विकल्प प्रदान करता है।
<b>भू-राजनीतिक</b>	भारत की पश्चिम एशिया में उपस्थिति को मजबूत करता है और इसे केवल भागीदार नहीं बल्कि कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में स्थापित करता है।
<b>सहयोगी मंच</b>	बहु-सदस्य पहल होने के कारण यह विकसित होती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार लचीला है।

### 3. हाल की भू-राजनीतिक घटनाएँ

- **शुरुआत:** G20 शिखर सम्मेलन (नई दिल्ली, 2023) में EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका के समर्थन के साथ घोषणा।

- **संकट का प्रभाव:** 7 अक्टूबर 2023 को हमस हमलों और इसके बाद इज़राइल-हमस संघर्ष ने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया।
- गाज़ा, लेबनान और यमन में बढ़ती तनाव परियोजना की सुरक्षा और व्यवहार्यता को खतरे में डालती है।
- क्षेत्रीय विखंडन और बढ़ते शत्रुतापूर्ण माहौल ने IMEC की नींव को कमजोर कर दिया।

### 4. भूमध्यसागर और वैश्विक गतिशीलता

#### (a) आर्कटिक चुनौती

- जलवायु परिवर्तन नए आर्कटिक समुद्री मार्ग खोल रहा है, जिससे रूस, चीन, अमेरिका और उत्तरी यूरोप को लाभ।
- ये नए समुद्री मार्ग भूमध्यसागर बंदरगाहों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और उनके आर्थिक महत्व को दीर्घकालीन खतरा बना सकते हैं।

#### (b) भूमध्यसागर का हित

- इटली और फ्रांस जैसे देश IMEC का समर्थन करते हैं ताकि वैश्विक व्यापार में अपने समुद्री महत्व को बनाए रखा जा सके।

- वे इसे आर्कटिक मार्गों के संतुलन और एशिया एवं मध्य पूर्व के साथ रणनीतिक कनेक्टिविटी बनाए रखने के साधन के रूप में देखते हैं।

### (c) भारत की भूमिका

- तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत:
  - आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करता है।
  - राजनीतिक स्थिरता बनाए रखता है।
  - आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करता है।

### 5. चुनौतियाँ

चुनौती	व्याख्या
भू-राजनीतिक अस्थिरता	पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष (इज़राइल-हमास, ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता)।
समन्वय जटिलता	विभिन्न हितों और संरेखण वाले कई सदस्य।
मार्गों की सुरक्षा	संवेदनशील समुद्री मार्ग और संभावित तोड़फोड़ जोखिम।

चुनौती	व्याख्या
फंडिंग और कार्यान्वयन	बड़ी पूंजी निवेश और भागीदार राज्यों के बीच लॉजिस्टिक समन्वय आवश्यक।

### 6. आगे का रास्ता

- लचीला मार्ग डिज़ाइन:** संघर्ष-प्रधान क्षेत्रों को बायपास करने के लिए मार्ग और साझेदारियाँ समायोजित करें।
- बहुपक्षीय सहयोग:** EU संस्थानों, क्षेत्रीय संगठनों और वित्तीय निकायों को शामिल कर जोखिम और जिम्मेदारी साझा करें।
- भारत की कनेक्टिविटी दृष्टि के साथ एकीकृत करें:** IMEC को सागरमाला, पीएम गति शक्ति और चाबहार परियोजनाओं के साथ संरेखित करें।
- सुरक्षा तंत्र:** कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए संयुक्त समुद्री सुरक्षा ढांचा स्थापित करें।
- क्षेत्रीय कूटनीति:** स्थिरता और व्यापार सहयोग के लिए भारत-खाड़ी-इज़राइल संवाद को बढ़ावा दें।

### निष्कर्ष

- IMEC भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी कूटनीति में एक नए चरण का प्रतीक है, जो इंडो-पैसिफिक को भूमध्यसागर से जोड़ता है।
- इसकी सफलता पश्चिम एशिया में राजनीतिक स्थिरता, निरंतर बहुपक्षीय सहयोग और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक अनुकूलन पर निर्भर है।
- यदि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया, तो IMEC भारत को महाद्वीपीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण हब बना सकता है और इसे बहुध्रुवीय विश्व में संतुलनकारी शक्ति के रूप में मजबूत कर सकता है।

### HOW TO USE

यह भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का केवल भागीदार नहीं, बल्कि नए, लचीले और नियम-आधारित कनेक्टिविटी नेटवर्क का निर्माता बने, जो सीधे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को चुनौती देता है और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है।

**प्राथमिक प्रासंगिकता:** GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

### 1. भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

**उपयोग का तरीका:** यह सबसे सीधे लागू होने वाला हिस्सा है। IMEC आधुनिक, लचीली और बहु-संरेखित कूटनीति का आदर्श उदाहरण है।

#### मुख्य बिंदु:

- **BRI के लिए रणनीतिक विकल्प:**  
IMEC को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और टिकाऊ विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें, जो चीन की ऋण-भारित और रणनीतिक रूप से अस्पष्ट BRI का मुकाबला करता है।
- **बहु-संरेखित कूटनीति:** परियोजना में विविध साझेदार शामिल हैं:
  - पश्चिमी ब्लॉक: अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU)
  - अरब विश्व: UAE और सऊदी अरब
  - भारत
  - यह दर्शाता है कि भारत पारंपरिक भू-राजनीतिक विभाजनों के पार समझौता बनाने में सक्षम है।
- **मिनी-लेटरल समूहों का लाभ:** IMEC I2U2 (India, Israel, UAE, USA) समूह से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, जो दिखाता है कि छोटे, केंद्रित

साझेदारी बड़े रणनीतिक प्रयासों को उत्प्रेरित कर सकती हैं।

## 2. भारत और उसके पड़ोस - संबंध

**उपयोग का तरीका:** IMEC भारत के “पड़ोसी क्षेत्र” को पश्चिम एशिया और यूरोप तक विस्तारित करता है।

**मुख्य बिंदु:**

- **पश्चिम एशिया का विस्तारित पड़ोसी क्षेत्र:** परियोजना भारत की “लुक वेस्ट” नीति को मजबूत करती है, UAE और सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण भागीदारों के साथ संबंध गहरे करती है, जो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और भारतीय डायस्पोरा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **पाकिस्तान से परे:** IMEC भारत को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता है बिना पाकिस्तान के भूमि मार्ग पर निर्भर हुए, जिससे महत्वपूर्ण भौगोलिक बाधाओं को पार किया जा सकता है।

**प्राथमिक प्रासंगिकता:** GS पेपर III  
(अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी)

**1. बुनियादी ढांचा:** ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि

**उपयोग का तरीका:** IMEC एक विशाल मल्टीमोडल बुनियादी ढांचा परियोजना है।

**मुख्य बिंदु:**

- **मल्टीमोडल कनेक्टिविटी:** यह भारत से UAE तक समुद्री मार्ग, अरब प्रायद्वीप में रेल नेटवर्क, और फिर यूरोप के लिए पुनः समुद्री मार्ग को जोड़ता है, जिससे एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनती है।
- **घरेलू पहलों के साथ एकीकरण:** IMEC को भारत के PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और सागरमाला से जोड़ें। इसे ईरान के चाबहार पोर्ट के साथ भी तालमेल में रखा जा सकता है, जिससे भारत के पास कई कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध हों।

## 2. सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा क्षेत्रों में प्रबंधन

**उपयोग का तरीका:** परियोजना का सीधा संबंध समुद्री और आर्थिक सुरक्षा से है।

**मुख्य बिंदु:**

- **आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन:** IMEC को लाल सागर में असुरक्षाओं (जैसे हूथी हमले) के समाधान के रूप में पेश करें। यह वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे वैश्विक व्यापार चोकपॉइंट व्यवधानों के प्रति अधिक लचीला बनता है।

- **समुद्री सुरक्षा:** "संयुक्त समुद्री सुरक्षा ढांचे" की आवश्यकता आर्थिक परियोजनाओं के गैर-पारंपरिक सुरक्षा पहलू को रेखांकित करती है।

### 3. अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव

**उपयोग का तरीका:** IMEC भारत के व्यापार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का उपकरण है।

#### मुख्य बिंदु:

- **निर्यात को बढ़ावा:** EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तेज़ और सस्ता कॉरिडोर भारतीय वस्तुओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, विशेषकर वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में।

**द्वितीयक प्रासंगिकता:** GS पेपर I (भूगोल)

### 1. संसाधनों की भू-राजनीति

**उपयोग का तरीका:** परियोजना वैश्विक व्यापार भूगोल से प्रभावित है और इसे प्रभावित करती है।

#### मुख्य बिंदु:

- **बदलते व्यापार प्रवाह:** IMEC एशिया-यूरोप व्यापार को पुनः मार्गदर्शित करने का लक्ष्य रखता है।
- **दीर्घकालिक चुनौती:** जलवायु परिवर्तन के कारण नए आर्कटिक मार्ग उत्पन्न हो रहे हैं, जिन्हें IMEC के साझेदार जैसे इटली और फ्रांस संतुलित करना चाहते हैं।

TO JOIN OUR ANSWER EVALUATION PROGRAMMES

VISIT- [www.mentoraias.co.in](http://www.mentoraias.co.in)

"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"